

पटवारी रिपोर्ट

श्रीमान जी, खता सं. 405, 406, 407, 735, 744 और 295 में जाची का नाम देवा पुत्र प्रताप अंकित है संलग्न आधार कार्ड में जाची का नाम देवाराज पुत्र प्रताप अंकित है अतः रिपोर्ट श्रीमान जी की खेता में पेश है।

Lalita
17/9/25
पटवारी

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट

प्राप्त जानकारी व संलग्न दस्तावेज के अनुसार खता सं. 405, 406, 407, 735, 744 व 295 में खातेदार देवा पुत्र प्रताप का नाम उक्त किया जाकर देवाराज पुत्र प्रताप किया जाना उचित होगा।

17/9/25
पटवारी

तहसीलदार की रिपोर्ट

प.ह. की रिपोर्ट व सू.अ.के की जांच रिपोर्ट के आधार पर दुरुस्ती को अग्रिम की जाती है।

17/9/25
प्रभारी

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025" तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
382

क्रमांक / 103

दिनांक:- 18.09.25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशांषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ताला तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2072-75 के खता संख्या 405, 406, 407, 735, 744 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
405 406 407 735 744 295	1. देवा पुत्र प्रताप शेष बदस्तूर	देवाराज पुत्र प्रताप संबंधित खता संख्या अनुसार		देवाराज पुत्र प्रताप शेष बदस्तूर	संबंधित खता संख्या अनुसार	



कुमांक: 4819-20

दिनांक: 18.09.25

उपस्थित: 1) तहसीलदार नसीराबाद को पालतार्ज
2) अग्रिम प्रतापका।

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद, जिला/अजमेर